

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक B/2964/एक-15-1/96

शिवपुरी, दिनांक 08/08/2025

प्रतिलिपि यथाआदेश :-

श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी की ओर आपके न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 680 दिनांक 06.08.2025 से प्राप्त संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत मूलतः प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म0प्र0।

न्यायालय:- प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक- 680

दिनांक- 06.08.2025

॥ आंशिक संशोधन आदेश ॥

-:: आपराधिक कार्य विभाजन ::-

मैं प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी म.प्र. माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्र. 8565/तीन-2-3/74 दिनांक 12/03/1977 के निर्देशानुसार तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-12 एवं 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 268 दिनांक 15.04.2025 में निम्न संशोधन करती हूँ :-

क्र.	नाम मजिस्ट्रेट	क्षेत्राधिकार का थाना/विभाग	रिमार्क/अनुदेश
1-	2-	3-	4-
01.	श्रीमती आकांक्षा यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा जिला-शिवपुरी	आरक्षी केन्द्र 1. नरवर	1. आरक्षी केन्द्र नरवर के अंतर्गत एवं उनसे उत्पन्न अभियोगपत्र/परिवादपत्र, निजी परिवाद पत्र और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां और अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.)। (ग्राम न्यायालय अधि. नियम 2008 से संबंधित अभियोग पत्रों को छोड़कर)। 2. आरक्षी केन्द्र नरवर के स्वापक औषधियां और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध के मामले। 3. आरक्षी केन्द्र नरवर की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किए गए और निर्देशित किए गए आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न आनुशांगिक कार्यवाहियां।
02.	श्री भूपेंद्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा जिला शिवपुरी	आरक्षी केन्द्र 1. दिनारा	1. आरक्षी केन्द्र दिनारा के अंतर्गत एवं उनसे उत्पन्न अभियोगपत्र/परिवादपत्र निजी परिवाद पत्र और उनसे अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां और अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) एवं आरक्षीकेन्द्र दिनारा की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न निजी परिवाद पत्र। (ग्राम न्यायालय अधि. नियम 2008 से संबंधित अभियोग पत्रों को छोड़कर)।

			2. आरक्षी केन्द्र दिनारा के स्वापक औषधियां और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध के मामले। 3. आरक्षी केन्द्र दिनारा की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध से संबंधित परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किए गए और निर्देशित किए गए आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न आनुशांगिक कार्यवाहियां।
03.	श्री रज्जेश पाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा जिला शिवपुरी	आरक्षी केन्द्र 1. अमोला	1. आरक्षी केन्द्र अमोला के अंतर्गत एवं उनसे उत्पन्न अभियोगपत्र/परिवादपत्र, निजी परिवाद पत्र और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां और अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.)। (ग्राम न्यायालय अधि. नियम 2008 से संबंधित अभियोग पत्रों को छोड़कर)। 2. आरक्षी केन्द्र अमोला के स्वापक औषधियां और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध के मामले। 3. आरक्षी केन्द्र अमोला की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किए गए और निर्देशित किए गए आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न आनुशांगिक कार्यवाहियां।

यह कार्य विभाजन आदेश दिनांक 11/08/2025 से अन्य आदेश होने तक प्रभावशील होगा।

अनुमोदित

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला शिवपुरी म0प्र0

(Rajendra Prasad Soni)
Principal District & Sessions Judge
Shivpuri (M.P.)